निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 20 / 2023
दायरा दिनांकः–06.9.2023
निर्णय दिनांकः– 18.12.24

उनवान

बद्रीलाल आयु 58 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा निवासी अलीगंज बाजार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 18.12.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि कस्बा छबड़ा में खाता संख्या 214 / 388 की खसरा नंबर 662 रक्बा 0.0885 है० बंजड, खसरा नंबर 667 रकबा 0.1897 है० बंजड़ कुल किता दो रकबा 2.2782 है०, जिसमें प्रार्थी का 1 / 3 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 434 / 387 की खसरा नंबर 37 रकबा 0.3162 है०, खसरा नंबर 38 रकबा 1.1382 है०, खसरा नंबर 62 रकबा 4.4262 है० कुल किता तीन रकबा 5.8806 है०, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/7 है एवंभूमि खाता संख्या 500 / 487 की खसरा नंबर 1322 रकवा 0.4553 है०, खसरा नंबर 1326 रकबा 0. 3035 है०, खसरा नंबर 1327 रकबा 0.2909 है० कुल किता तीन रकबा 1.0497 है० भूमि कस्बा छबड़ा में स्थित है, जिसमें खातेदार कमांक 8 बद्रीलाल का 1 / 7 हिस्सा निहित है एवं खाता संख्या 594 / 500 की खसरा नंबर 1328 रकबा 0.0632 है०, खसरा नंबर 1328 / 2 रकबा 0.6070 है० कुल किता दो रकबा 0.6702 है० भूमि कस्बा छबड़ा में स्थित है, जिसमें प्रार्थी खातेदार बद्रीलाल का 1 / 7 हिस्सा निहित है। उक्त समस्त खसरा नंबर की भूमि कस्बा छबड़ा में स्थित है। प्रार्थी जाति से बैरवा है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात व जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी व खातेदारी व अन्य दस्तावेजात में बैरवा है। किंतु मद नंबर 1 में वर्णित भूमि में राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी में प्रार्थी की जाति बैरवा के स्थान पर कबाडी दर्ज कर दी है। किंतु कबाड़ी जाति है ही नहीं। राजस्व कर्मचारियों ने मद नंबर 1 में वर्णित समस्त खातेदारी में प्रार्थी की जाति लापरवाही से बैरवा के स्थान

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)

पर कबाड़ी दर्ज कर दी है। जबकि प्रार्थी की जाति समस्त दस्तावेजात में बैरवा है। जिसे न्यायहित में मद नंबर 1 में वर्णित खातेदारी में कबाड़ी के स्थान पर बैरवा किया जाना न्यायहित में है। जबकि प्रार्थी की अन्य खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 213/389 कस्बा छबड़ा में ही राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति बैरवा दर्ज कर रखी है एवं आंचोली के माल की भूमि खाता संख्या 72/73 में भी प्रार्थी की जाति खातेदारी में बैरवा दर्ज कर रखा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 214 नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 434 नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 500 नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 594 नकल मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 13.06.1986 आपात्ति आमंत्रण पत्र दिनांक 04.05.2021 नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 213 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 72 फोटो प्रति निर्माण स्वीकृति आज्ञा पत्र जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र फोटो प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.08.2021 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दिनांक 3.05.223 मांग पत्र सहा0 अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा का पत्र दिनांक 18.11.2022 न्यायालय ए0सी0जे0एम क्रम 1 छबडा में जाति प्रमाण पत्र दिनांक 20.06.222 जाति प्रमाण पत्र दिनांक 3.08.1982 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम छबडा आंचोली में स्थित है। जिसमें प्रार्थी खातेदार कृषक है प्रार्थी जाति से बैरवा है प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में जाति बैरवा दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति बैरवा के स्थान पर कबाडी दर्ज कर दी है जबकि प्रार्थी की वास्तविक जाति बैरवा है प्रार्थी की अन्य खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 213/389 कस्बा छबडा एवं ग्राम आंचोली के खाता संख्या 72/73 में प्रार्थी की जाति बैरवा दर्ज है प्रार्थी राजस्व रिकार्ड जमान्दी में जाति कबाडी के स्थान पर बैरवा कराना चाहता है क्योकि प्रार्थी जाति से बैरवा हे प्रार्थी का जाति प्रमाण पत्र 3.08.1982 में जाति बैरवा दर्ज है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2079–76 खाता संख्या 214 सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 434 सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 500 सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 594 में बद्रीलाल पुत्र भंवरलाल जाति कबाडी सा0देह माफियात रिज्यूमशन दर्ज है कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट छबडा जिला बारां पत्र क्रमांक /86/145 दिनांक 13.06.1986 को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें प्रार्थी की जाति बैरवा अंकित है नगरपालिका छबडा द्वारा पत्र क्रमांक /3689 दिनांक 4.05.2021 से आपत्ति आमंत्रण पत्र जारी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

किया जिसमें प्रार्थी की जाति बैरवा अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम ग्राम आंचोली सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 72 में प्रार्थी की जाति बैरवा दर्ज है नकर पालिका छबडा के पत्र क्रमांक/2021/361 दिनांक 20.1.2022 से जारी निर्माण स्वीकृति आज्ञा पत्र में प्रार्थी की जाति बैरवा अंकित है। थानाधिकारी छबडा द्वारा एफआईआर दिनांक 20.8.2021 को धारा 420 में दर्ज की जिसमें प्रार्थी की जाति बैरवा दर्ज है इसके वाद दिनांक 3.05.2023 को धारा 420 सी0आर0पी0सी0 में रिपोर्ट दर्ज की जिसमें भी प्रार्थी की जाति बैरवा दर्ज है सहा0 अभियनता जयपुर विद्युत विरतण निगम लि0 द्वारा दिनांक 19.07.2022 को मांग पत्र जारी किया जिसमें अनुसूचित जाति अंकित है। थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा द्वारा जारी पत्र में प्रार्थी की जाति बैरवा इंकित है न्यायालय ए0सी0जे0एम साबह क्रम 1 छबडा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 210 जा.फों में बद्रीलाल पुत्र भंवरलाल की जाति बैरवा अंकित है नगरपालिका छबडा द्वारा जारी भू आवटंन पत्र में प्रार्थी की जाति बैरवा दर्ज है जाति प्रमाण पत्र दिनांक 20.06.2022 एवं दिनांक 03.08.1982 में जारी किया गया जिसमें प्रार्थी की जाति बैरवा दर्ज है इस सम्बनध में तहासीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि खसरा नम्बर 662 रकबा 0.0885 है0 खसरा नम्बर 667 रकबा 0.1897 है0 हिस्सा 1/3 एवं खसरा नम्बर 37 रकबा 0.3162 है0 खसरा नम्बर 38 रकबा 1.1382 है0 खसरा नम्बर 62 रकबा 4.4262 है0 मे से 1/7 हिस्सा खसरा नम्बर 1322 रकबा 0.4553 है0 खसरा नम्बर 1326 रकबा 0.3035 है0 खसरा नम्बर 1327 रकबा 0.2909 है0 में से 1/7 हिस्सा व खसरा नम्बर 1328 रकबा 0.0632 है0 खसरा नम्बर 1328/2 रकबा 0.6070 है0 में से 1/8 दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीके खाते में जाति कबाडी दर्ज रिकार्ड है जो सेटलमेन्ट से ही दर्ज चली आ रही है। यह विचारनीय है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्व रिकार्ड में त्रुटि सुधार से संबंधित है जाति में परिवर्तन का मामला इस धारा के क्षैत्राधिकार में नही आता। चुंकि राज्य सरकार द्वारा अशोभनीय नामों में सुधार की अनुमति धारा 136 के अन्तर्गत प्रदान की गई है परन्तु इस प्रकरण में जाति कबाडी से बैरवा दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है न कि अशोभनीय नाम में परिवर्तन। अतः धारा 136 एल0आर0एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा